

उपखण्ड अधिकारी  
कोटकासिम (अलवर)

पं 18

प्रती के प्रयोग पर पर फसली पैसा हुई। प्रती के प्रयोग का पैसा कर जिवेका किया कि वह अपने प्रयोग पर अंधा. 202 R.T. Act को लागू नहीं करना चाहिए किना किया करना चाहिए प्रती का प्रयोग पर स्वीकार किया जाकर शारीरिक फसली किया गया। प्रती को प्रयोग की सुची के अनुसार सेट करने की। प्रती अपने प्रयोग पर को नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रती का प्रयोग पर रखा गया जाना है फसली पैसा के अनुसार सेट कर लेना है।

अध्यास  
पं 18  
4/11/18

*[Handwritten signature]*

उपखण्ड अधिकारी  
कोटकासिम (अलवर)